न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2019 (GCMS 2019/00103)	**08.07.2019**	**27.01.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

हितेश शर्मा पुत्र गणपत (विक्रेता) मैसर्स हितेश किराणा स्टोर मैन रोड बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी मैन रोड बाडोलिया तहसील तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह कि मैं देवेंद्र सिंह राणावत द्वारा दिनांक 29.10.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2018 को समय 12.10 पीएम पर मैसर्स हितेश किराणा स्टोर मैन रोड़ बाडोलिया तह. रावतमाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पर पहुंचा। वहां पर हितेश शर्मा पुत्र श्री गणपत लाल उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (सोना ब्राण्ड) व अन्य किराणा सामान आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान श्री महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में मैने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त [illegible] निरीक्षण करने पर 500–500

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम के पोलीपैक मिर्च पाउडर (सोना ब्राण्ड) सील्ड अवस्था मे विक्रय हेतु रखा पाया गया। उक्त मे से सील्ड पोलीपैक पाउडर (सोना ब्राण्ड) को ध्यान से देखने पर उस पर सोना लाल मिर्च पाउडर लोट नम्बर 04, नेट वेट– 500 ग्राम, एमआरपी–100, डेट ऑफ पेकेजिंग–01 अप्रेल 2018, बेस्ट बिफोर 8 मन्थ फ्रोम पेकेजिंग, मेन्युफेक्चरिंग बाय– हिम्मत हॉम इण्डस्ट्रीज धानमण्डी मन्दसौर, एम.पी. अंकित पाया गया विक्रेता के पास उक्त लाल मिर्च पाउडर (सोना ब्राण्ड) का खरीद बिल नही होना गया। मैसर्स हिम्मत हॉम इण्डस्ट्रीज को फार्म–6 की प्रति प्रेषित की गई। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बार बार आग्रह किया गया किन्तु किसी के भी गवाह बनने हेतु तैयार न होने पर श्री महेन्द्र सिंह को गवाह बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही उनके सामने की गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के चार सील्ड पॉलीपैक को वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 240/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागो में बाट कर चार प्लास्टिक डिब्बो मे अलग–अलग रखकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-973** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जॉच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर [illegible] समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान [illegible] भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के पत्र क्रमांक क्रमांक/**FSSA/2018/4662** दिनांक 27.12.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्राण्डेड होना पाया गया। जाँच रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह है कि उक्त फर्मो को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जिसका फोवर्डिग पत्र की मूल कार्यालय प्रति व मूल पोस्टल रसीदो के संलग्न है। उक्त फर्मो के संविधान के सम्बन्ध में मेरे द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से जानकारी चाही गई जो कि मूल ही मय पोस्टल रसीदो के संलग्न है। मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज क्रमांक/**FSSA/2018/4662** दिनांक 27.12.2018 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/**FSSA/2019/2024** दिनांक 18.06.2019के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणो ने मिसब्राण्डेड लाल मिर्च पाउडर (सोना ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है, अतः उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सकें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस के तलब किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया। इस पर दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से स्वीकार कर बताया कि मेरी फर्म से नमकीन जीतु ब्रांड वास्ते जांचसंख्या एएम 973 लिया गया था, जो बाद जांच मिस ब्रांड होना पाया गया है। इस बाबत मेरा निवेदन है कि यह मिर्ची पाउडर का निर्मात में नहीं हूँ नहीं में इस मिर्ची पाउडर को पैक करता हूँ मेरे पास इस मिर्ची पाउडर का बिल नहीं होने के कारण निर्माता को मुल्जिम नहीं बनाया गया है अतः निवेदन है कि मेरी पहली गलती को माफ करते हुए कम से कम जुर्माना लगाया जावें। में आगे से हर प्रत्येक खाद्य पदार्थ का बिल लिया करूंगा यह गलती दुबारा नहीं होगी।

दिनांक 27.01.2021 को अप्रार्थी हाजिर आया। एवं प्रकरण को निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की इस पर पत्रावली को सिगहे से तलब किया गया। पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम जुर्माना का निवेदन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :-

ANALYSIS REPORT --

(i) Sample description:- The sealed sample contained in a plastic box having original company aluminum polypack of 500g. - Printed on label contains Chilli powder but in ingredients Dry Coriander In Powder Form used which is misleading. Contravention to Regulation 2.2.1(3), 2.2.2(2)(b), 2.3.1(5) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.

(ii) Physical appearance:- Red powder, No visible insect infestation or mould growth.

(iii) Label :-- Brand- Sona Brand, Name of food- Tej Chilli Powder, Pkd. on.- 01.04.2018, Lot No.- 04 Best before 8 Months- Present, Green symbol of veg.- Present. Bar code no.- 8908009773043. FSSAI Lic No.- 11414750000028, Agmark C.A. No.- A/2 3359, Mfg. by- Himmat Home Industries Dhanmandi, Mandsaur (M.P.)- Incomplete Address, Ingredients- DRY CORIANDER IN POWDER FORM Given but not as per Contravention to Regulation 2.2.2(6)(i), 2.2.1(3), 2.2.2(2)(b), 2.3.1(5) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.

Opinion:- The sample of Tej Chilli Powder (Sona Brand) bearing code no, and serial no. AM- 973 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh is misbranded food. as per Contravention to Regulation 2.2.2(6)(i), 2.2.1(3), 2.2.2(2)(b), 2.3.1(5) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.The sample is misbranded food under section 3(1)(Zf)(A)(i)(a)(C)(i) of the Food.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (सोना ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(A)(i)(a)(C)(i)** के तहत मिसब्रांड पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ का निर्माता नहीं है। खाद्य पदार्थ का निर्माता **Himmat Home Industries Dhanmandi, Mandsaur (M.P.)** है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी हितेश शर्मा पुत्र गणपत (विक्रेता) मैसर्स हितेश किराणा स्टोर मैन रोड बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी मैन रोड बाडोलिया तहसील तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-
(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.
(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त हितेश शर्मा पुत्र गणपत (विक्रेता) मैसर्स हितेश किराणा स्टोर मैन रोड बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी मैन रोड बाडोलिया तहसील तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री हितेश शर्मा पुत्र गणपत (विक्रेता) मैसर्स हितेश किराणा स्टोर मैन रोड बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी मैन रोड बाडोलिया तहसील तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा माल का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **27.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:28:49 IST
Reason: SelfAttested